

"आदेश"

सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या-1816/दिनांक 17.04.2018 के द्वारा कृषि विभाग के अर्न्तगत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 (विकास शाखा) के पदों पर नियुक्ति हेतु 11 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित की गयी है। चयन सूची के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को कृषि विभाग के अर्न्तगत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 (विकास शाखा) वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 25500-81100 लेवल-4 में तथा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता सहित उनके द्वारा किये गये योगदान की तिथि से अस्थाई रूप में नियुक्ति प्रदान की जाती है, तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों के अधीन तैनात किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, तथा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेगी।

इन अभ्यर्थियों की वर्ग-3 के पद पर पारिस्परिक ज्येष्ठता सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के द्वारा प्रेषित चयन सूची के अनुसार ही अलग से निर्धारित की जायेगी। योगदान करते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में योगदान कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

- (1) ₹ 5000.00 (पांच हजार ₹) की नगद धनराशि अथवा 5000.00 ₹ का राष्ट्रीय बचत पत्र जमानत के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने होंगे।
- (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।
- (3) शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
- (4) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनु0जाति/अनु0ज0जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।
- (5) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जिसका वह स्वामी हो।
- (6) विवाहित तथा एक ही जावित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

अतः सभी अभ्यर्थी उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों सहित आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अर्न्तगत अपनी योगदान सूचना सम्बन्धित अधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय के अर्न्तगत योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही रद्द समझा जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुनः नियुक्ति का अवसर नहीं दिया जायेगा। योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र0 स0	चयनसूची क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पता	अधिष्ठान का नाम जहाँ तैनाती की गयी है।
1	2	3	4
1	01	श्री बादल कुमार पाण्डे, पुत्र श्री बचीराम पाण्डे, पता-रूम0न0 59 शिवालिक भवन, नियर छोटी मार्केट पन्तनगर, जिला -उधमसिंहनगर	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा
2	02	श्री दिनेश सिंह नेगी, पुत्र श्री पदम सिंह नेगी, ग्राम-कटकोड, पोस्ट-फकोट, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पिनकोड-249175,	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी
3	03	श्री पलविन्दर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, ग्राम-गजरौला,पोस्ट-जोगीपुरा, तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर पिनकोड- 262401	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़

4	04	श्री ज्योति सिंह, पुत्र श्री पी0एस0रावत, पता-दीवान सिंह रावत, 14 बीधा, मुनीकीरेती, ऋषिकेश जिला-टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड।	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी
5	06	अलका पेलू पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पेलू, पता-उत्तरांचल इन्कलेव, सेक्टर-1, हरिपुर नवादा, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड पिनकोड-248005	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल
6	07	श्री धमेन्द्र कुमार, पुत्र श्री मासान्तु पता-ग्राम ललूरी, पोस्ट-जखोली, जिला-रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड पिनकोड-246141	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी
7	08	श्री बसन्त लाल पुत्र श्री जयपाल सिंह ग्राम -रूहालकी दयालपुर, पोस्ट-भगवानपुर रूडकी, जिला हरिद्वार पिनकोड-247661	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी
8	09	श्री राजेश चौमवाल पुत्र श्री बिन्दी लाल, पता-ग्राम गैठाणा बांगर, पोस्ट-कोटबांगर, तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।	मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग
9	10	श्री रामनाथ पुत्र श्री नथलू ग्राम-धीरमाजरा, पोस्ट-हल्लूमाजरा, जिला-हरिद्वार, पिनकोड- 247661,	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी
10	11	श्री रतन लाल पुत्र श्री जनेश्वर प्रसाद ग्राम मूलदास पुर उर्फ माजरा, पोस्ट-पंतजली, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड पिनकोड-249405	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी

सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3 में चयनित अभ्यर्थियों के उक्त नियुक्ति आदेश को विभागीय वेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in पर भी प्रकाशित कर दिया गया है।

-६०१-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

पत्रांक-कृ0नि0 / 2948 / स्था0 / वर्ग-3 / नियुक्ति / 2018-19 / दिनांक 27, जुलाई 2018
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी (पंजीकृत)।
2. सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी को इस निर्देश के साथ, कि वह उक्तानुसार अपने जनपद हेतु नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों की तैनाती नियमानुसार सिंगल विण्डों व्यवस्था के अर्न्तगत अपने स्तर से करना सुनिश्चित करे।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।

5

8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, लाडपुर रिंग रोड देहरादून।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में चरपा हेतु।
10. गार्ड पत्रावली।

पृष्ठोंकन संख्या /उक्त/तद् दिनोंक।

प्रतिलिपि:- सचिव (कृषि) उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
27/7

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।